



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 2013/श्रावण 31, 1935

No. 423]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 2013/SHRAVANA 31, 1935

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2013

सा.का.नि. 566(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 21) की धारा 87 की उप-धारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रमाणन नियंत्रक प्राधिकरण, राजपत्रित और अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2009 को जहां तक उसका संबंध निदेशक (वित्त और प्रशासन) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन सांविधिक निकाय प्रमाणन नियंत्रक प्राधिकरण कार्यालय, में निदेशक (वित्त और प्रशासन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रमाणन नियंत्रक प्राधिकरण, निदेशक (वित्त और प्रशासन) भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्यां	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक (वित्त और प्रशासन)	01* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह "क" पद के समतुल्य	वेतन बैंड-4 वेतनमान 37400- 67000 रु. + ग्रेड वेतन 8700 रुपये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि; यदि कोई हो

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

(7)

(8)

(9)

(10)

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(11)

(12)

(13)

प्रतिनियुक्ति या आमेलन :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी :-

(क) जो मूल काड्र या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ख) (i) ऐसे उप सचिव या संयुक्त निदेशक या उप वित्तीय सलाहकार जिन्होंने वेतन बैंड-3, वेतनमान 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन

7600 रुपये की श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; या

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध विचार करने के लिए)

निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

1. नियंत्रक प्रमाणन अधिकारी

-अध्यक्ष

2. महानिदेशक (भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल)

-सदस्य

3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग या अन्य मंत्रालय या विभाग से संयुक्त सचिव, भारत सरकार या समकक्ष

-सदस्य

लागू नहीं होता

6

(10)

(ii) ऐसे अवर सचिव या उप निदेशक जिन्होंने वेतन बैंड-3 वेतनमान 15600-39100 रुपये + ग्रेड वेतन 6600 रु. की श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की है; या

(iii) ऐसे उप सचिव या संयुक्त निदेशक या उप वित्तीय सलाहकार जिन्होंने वेतन बैंड-3, वेतनमान 15600-39100 रुपये + ग्रेड वेतन 7600 रु. में तथा ऐसे अवर सचिव या उप निदेशक जिन्होंने वेतन बैंड-3, वेतनमान 15600-39100 रुपये + ग्रेड वेतन 6600 रुपये की श्रेणी में संयुक्त रूप से दस वर्ष की नियमित सेवा की है; या

(iv) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या लोक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकायों में प्रशासन या वित्त के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव हो

टिप्पण 1 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख हो छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर अधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

[फा. सं. 1(2)/2012-कार्मिक-III]

राजकुमार गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2013

G.S.R. 566(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) and in supersession of the Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Controller of Certifying Authorities, Gazetted and Non-Gazetted posts Recruitment Rules, 2009, in so far as they relate to the post of Director (Finance and Administration), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Finance and Administration) in the office of Controller of Certifying Authorities, a statutory body under the Department of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology, Controller of Certifying Authorities, Director (Finance and Administration), Recruitment Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification and the pay band or grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit qualifications and other matters relating to the said post shall be specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.— No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Director (Finance and Administration)	1*(2013) *Subject to variation depending on work load.	Equivalent to Group 'A' post in Central Government	Pay band-4, Rs.37400-67000 plus grade pay of Rs.8700.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation If any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or by deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	By deputation or absorption	<p>Deputation or absorption : Officers of the Central Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies,—</p> <p>(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(i) Deputy Secretary or Joint Director or Deputy Financial Advisor in the pay band-3, Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.7600 with five years regular service in the grade; or</p> <p>(ii) Under Secretary or Deputy Director in the pay band-3 Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.6600 with ten years regular service in the grade; or</p> <p>(iii) Deputy Secretary or Joint Director or Deputy Financial Advisor in the pay band-3, Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.7600 and Under Secretary or Deputy Director in the pay band-3 Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.6600 with ten years combined regular service in the grade; and</p> <p>(iv) Possessing five years experience in the field of administration or finance in the Central or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies.</p> <p>Note 1: Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organization of department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.</p> <p>Note 3 :- For the purpose of appointment on deputation or absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which</p>

(3)

(11)

the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controller of Certifying Authorities —Chairman 2. Director General (Indian Computer Emergency Response Team) —Member 3. Joint Secretary to the Government of India or equivalent from Department of Electronics & Information Technology or other Ministry of Department —Member 	Not applicable.

[No. 1(2)/2012-Pers.III]

RAJ KUMAR GOYAL, Jt. Secy.

Note : Principal Recruitment Rules were published *vide* GSR No. 647(E), dated 8th September, 2009.